

## कार्यवाही विवरण

Expansion of coal washery with change in technology from 0.96 MTPA (Dry Type) to 2.5 MTPA (wet type) in existing area of 10.6 Ha By M/s Phil Coal Beneficiation Pvt. Ltd located at Village Tenda Nawapara, Tehsil Gharghoda, District Raigarh, Chhattisgarh की स्थापना के लिए पर्यावरणीय र्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 21 अप्रैल 2022 का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, Expansion of coal washery with change in technology from 0.96 MTPA (Dry Type) to 2.5 MTPA (wet type) in existing area of 10.6 Ha By M/s Phil Coal Beneficiation Pvt. Ltd located at Village Tenda Nawapara, Tehsil Gharghoda, District Raigarh, Chhattisgarh की स्थापना के लिए पर्यावरणीय र्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 21.04.2022, दिन—गुरुवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान—शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का मैदान, ग्राम—नवापारा (टैण्डा), तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगों का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम मैं राजेश ठाकुर असिस्टेंट डायरेक्टर मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से माननीय अपर कलेक्टर श्री आर.ए. कुरुवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल श्री एस.के. वर्मा जी उपस्थित अन्य अधिकारीगण तथा पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं लोकसुनवाई में स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा ग्राम टेन्डा – नवापारा, तहसील घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) शुष्क प्रक्रिया (ड्राय प्रोसेस) आधारित कोल बेनिफिकेशन इकाई (क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष) का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.10.2024 तक है।

वर्तमान में कंपनी द्वारा उत्पादनरत् झाय प्रोसेस आधारित कोल बैनिफिकेशन इकाई (क्षमता ०.९६ मि.टन प्रतिवर्ष) की वॉशिंग पद्धति में परिवर्तन कर वैट वॉशरी करना तथा क्षमता विस्तार भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद इकाई की कुल क्षमता २.५ मि.टन प्रतिवर्ष वैट वॉशरी प्रस्तावित है। वर्तमान में हमारे पास १०.०६ हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है तथा प्रस्तावित क्षमता विस्तार विद्यमान परिसर में ही किया जाना प्रस्तावित है एवं अतिरिक्त भूमि क्रय नहीं की जावेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है इसी तारतम्य में यह लोक सुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु :— हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित कोल वॉशरी में बैग फिल्टर की स्थापना की गई है, जिसकी दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा ५० मिलीग्राम सामान्य/घन मीटर से कम के अनुरूप है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में भी कोल क्रशर में बैग फिल्टर की जावेगी, जिसकी दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा ५० मिलीग्राम/घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषण रोकथाम :— वर्तमान में उत्पादनरत् इकाई हेतु जल की आवश्यकता ३३ घन मीटर/दिन है जिसे भूजल से प्राप्त किया जा रहा है प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के बाद ४२५ घर मीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति कुर्कंट नदी से की जायेगी। इस आशय हमारा आवेदन जल संसाधन विभाग छ.ग. शासन में प्रक्रियाधीन है। उत्पादनरत् इकाई झाय टाइप की कोल वॉशरी है जिससे औद्योगिक दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में भी यही प्रणाली अपनाई जावेगी, जिससे औद्योगिक दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रस्तावित कोल वॉशरी के क्षमता विस्तार में क्लोज्ड लूप प्रणाली को अपनाया जावेगा तथा प्रक्रिया जल को हाई रेट थिकनर से पास किया जाकर प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पुर्नचक्रित किया जावेगा। जिससे औद्योगिक दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद घरेलू दूषित जल का उपचार विद्यमान सैप्टिक टैंक तथा शोकपिट द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के बाद शून्य निस्तारण की स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आस-पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु :— कोल वॉशरी के संचालन के दौरान ध्वनि का उत्सर्जन नहीं होता है, उत्पन्न शोर कार्यस्थल तक ही सीमित रहेगा। ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों के पास काम करने वाले कर्मचारियों को इयरप्लग उपलब्ध कराये जायेंगे। ध्वनि के प्रमुख स्त्रोत डी.जी. सेट होंगे इसकी रोकथाम हेतु ध्वनि एन्क्लोजर्स लगाये जायेंगे या सायलेंट प्रकार के डी.जी. सेट की स्थापना की जावेगी। प्लांट परिसर के भीतर प्रस्तावित व्यापक हरित पट्टी विकास से ध्वनि के स्तर को और कम करने में मदद मिलेगी। ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :— ठोस अपशिष्टों के रूप में वॉशरी रिजेक्ट्स को आस-पास के विद्युत उत्पादन इकाई मुख्यतः प्रकाश इण्डस्ट्रीज, चांपा को दिया जावेगा। वृक्षारोपण :— परिसर में लगभग ८.२५३ एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस-पास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी

जावेगी। सामाजिक दायित्व के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिससे परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की उपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1000–1100 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 121 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

**सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –**

1. बोधराम गुप्ता, टेण्डा नवापारा – आज कोलवाशरी का जनसुनवाई होने जा रहा है इसमें समर्थन है।
2. गितराम पटेल, भेंगारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. बोधराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. अवधेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. मुरलीधर, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. डिलेश्वर प्रसाद, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. ललित कुमार गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. ब्रह्मानंद गुप्ता, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. सुखलाल, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. सुरेश, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. सूरज सिंह, नवागढ़ – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. प्रकाश, नवागढ़ – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

13. वेनुधर, नवागढ – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. दिलीप, नवापारा टेण्डा – रोजगार देने का कष्ट करें। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. गणेशराम, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. रमेश गुप्ता, नवागढ – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. अभिराम गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. कमलेश्वर चौहान, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. जेठुराम, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. धरमसिंह चौहान, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. बरतमा रेड्डी, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. मालिकराम, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. मंगल सिंह – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
24. उदय राम, भेंगारी – मैं विरोध करता हूँ क्योंकि नौकरी नहीं मिलता है।
25. मुकेश कुमार, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। क्योंकि अच्छा पेमेंट मिलता हूँ।
26. ललित राम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. बेदलाल, छोटे गुमड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. मुरलीधर गुप्ता, छोटे गुमड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. बंशीधर गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. सदन गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
31. जगमल, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. सूरज गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. निरज, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. रिंकू गुप्ता, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. लोकराम, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. रामाशंकर, खरसिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. ललित, घरघोड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
38. विमला जोल्हे, – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। जब से हमारे यहा कंपनी आया है बिजली, स्वास्थ्य सभी का सहयोग करते हैं।



















271. फुलवती – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
272. भुरीबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
273. देवमती – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
274. शांति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
275. सोहित – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
276. करमसिंह – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
277. वेद राठिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
278. मनीष – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
279. खेमराज – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
280. शिवकुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
281. गौरव – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
282. विनय – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
283. नंदलाल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
284. सुमित – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
285. संदीप – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
286. सुनील, भोजिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
287. गुरुदास, भोजिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
288. कुंदन – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
289. जयलाल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
290. राजेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
291. देवेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
292. सनेश्वर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
293. जितेन्द्र – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
294. मनोज – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
295. दीलिप, बरौनाकुण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
296. भीमसिंह – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
297. जानु राऊत, – कंपनी को बंद करना चाहिये।
298. गोपाल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
299. रथ्युराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।















502. बुद्धि – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
503. देशकुंवर – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
504. प्रेमवति – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
505. गणेशवती – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
506. रसमति – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
507. तिजमती – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
508. फुलकुमारी – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
509. विद्वा राठिया, कुडुमकेला – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
510. सुनिल – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
511. चिनु – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
512. बाबूलाल – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
513. मुकेश, घरघोड़ा – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
514. देव उरांव, – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
515. अजय – मेसर्स फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
516. लोचन प्रसाद गुप्ता, चारमार – इस लोक सुनवाई के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से गुजारीस करता हूँ कि जो कंपनी के कुछ दलाल यहा अपना काम कर बखुबी तरीके से निभा रहे हैं। घरघोड़ा से आकर इस क्षेत्र के भोले-भाले जनता को 200–300–400 देकर कंपनी के समर्थन के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हे यह पता नहीं है कि हम किस तरीके से प्रभावित होंगे। आज हमारा क्षेत्र इतना ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित है कि जिना मुश्किल हो गया है। अगर हम लोगों को घरघोड़ा जाना रहता है तो हर कोई यह सोचता है कि कास यह कंपनी नहीं होती तो घरघोड़ा जाने के लिये ज्यादा समय नहीं लगता, सड़क के माध्यम से घरघोड़ा जाने के लिये हम लोगों को फ़िल कोल वाशरी जैसे कंपनी के चक्कर में बहुत ही ज्यादा ट्रक का सामना करना पड़ता है, इस क्षेत्र की जनता भोले-भाले होने के साथ-साथ उनको 02–04 पैसा प्रलोभन देकर कंपनी का समर्थन कराया जा रहा है। यहा फ़िल कोल वॉशरी बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड कोल वॉशरी विस्तार पर आयोजित लोक सुनवाई में इस तथ्य का आपत्ति करता हूँ कि ग्राम-नवापारा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) फ़िल कोल वॉशरी विस्तार हेतु प्रस्तावित स्थल से 01 किलोमीटर की दूरी पर टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट संचालित है, जिसमें हर दिन 500 ट्रक कोयला जलाया जाता है, जिससे निकलने वाली धुआं, राख व अन्य अपशिष्ट पदार्थ से पूरा क्षेत्र में विघटनकारी एवं विनाशकारी स्थिति में आ चुकी है तथा प्रस्तावित स्थल पास ही 01 किलोमीटर की दूरी पर मेसर्स महावीर कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड 12 मेगावाट संचालित है जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 ट्रक चलते हैं।

तथा वर्तमान में संचालित फिल कोल बेनिफिकेशन से निकलने वाले धुआं, राख व अपशिष्ट पदार्थ तथा लगभग 200 ट्रक कोयला प्रतिदिन चलती है। इस तरह से तीनों उद्योगों से प्रतिदिन लगभग 800 ट्रक की हमेशा आवाजाही लगी रहती है जिसके कारण क्षेत्र में आवागमन का दबाव बढ़ चुका है। उसके बाद भी यहा उद्योग का विस्तार करना कहां उचित है तथा किस आधार पर अनुमति दी जावेगी। उपरोक्त तीनों उद्योगों के कारण क्षेत्र के मानव जीवन, जैव विविधता एवं पारस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक एवं विनाशकारी प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो चुका है। तीनों उद्योगों से निकलने वाली राख, फ्लाई ऐश, धुआं एवं अन्य अपशिष्ट या प्रदूषक पदार्थ के कारण गांव एवं क्षेत्र की मृदा, जल, हरीहर जंगल दूषित हो चुकी हैं जिससे लघु वनोपज जैसे चार, महुआ, तेंदू, डोरी, तेंदुपत्ता, सराई बीज, हरा, बेहरा, आंवला तथा अन्य पारंपरिक लघु वनोपज उत्पादन में अचानक गिरावट आई है जिसके कारण इस गांव एवं क्षेत्र के जनजातियों एवं परंपरागत निवासियों की जीवनशैली में नकारात्मक एवं विघटनात्मक प्रभाव पड़ा है तथा कृषि उत्पादन जैसे धान, तिल, उड्ड, दलहन एवं सब्जियों की पैदावार में गिरावट आई है जिससे छोटे-बड़े किसानों की स्थिति दयनिय हो गई है। ग्राम-भेंगारी, घारमार, नावापारा के हरी मिर्ची जिले के बाजार में मशहूर था, अन्य क्षेत्र की हरी मिर्ची की तुलना में इस क्षेत्र का हरी मिर्ची 5 रुपये प्रतिकिलो अतिरिक्त मूल्य में बिकता था। आज तीनों उद्योगों के संचालन के दुष्परिणाम आज तीनों गांव में हरी मिर्च की खेती करना ही बंद हो गया है तथा फ्लाई ऐश राख उड़ने के कारण कई प्रकार के गंभीर बीमारियां जैसे त्वचा रोग, श्वास रोग एवं अन्य बीमारी फैल रहे हैं। ई.आई.ए. रिपोर्ट में वन्य जीवों के संबंध में जानकारी स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि प्रस्तावित स्थल से 200 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है। रेलवे द्वारा हाथीपास बनाया गया है तथा वन विभाग द्वारा हाथियों से की जा रही नुकसान का मुआवजा वितरण विगत 20 वर्षों से की जा रही है तथा हाथी रहवास डेम बनाया गया है ताकि क्षेत्र के अन्य दुर्लभ जीव जैसे बारासिंघा गांव के कुआं में गिर गया था जिसे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा धायल अवस्था में निकाला गया तथा उपचार के दौरान मृत्यु हो गया। अतः आस-पास धने एवं बड़े जंगल होने के कारण कई प्रकार के दुर्लभ जीव जन्तु मौजुद हैं जिनका जीवन संकटग्रस्त एवं आवास का विघटन हो रहा है तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन होगा। हमारे गांव के आस-पास तीनों उद्योगों के संचालन से लगभग 800 ट्रक प्रतिदिन चल रही है, अगर इसे पर्यावरणीय स्वीकृति मिलेगी तो 554 ट्रक और चलेगी तो कुल मिलाकर 1354 ट्रकें होगी, जो कि क्षेत्र जैव पर्यावरण पर भयानक स्थिति होगी तथा तीनों उद्योगों से आस-पास खेतों तथा नालों में राख को इतना बहाता है कि एन.जी.टी. गठित ओवर साईट कमेटी द्वारा टी.आर.एन. इनर्जी को 1 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना ताकि महावीर इनर्जी कोल बेनिफिकेशन को 1 करोड़ 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हमारे गांव में एक दिन का पानी का खर्च लगभग 50 हजार लीटर होता है जिसमें नहाने-धोने, खाने-पीने, इत्यादि लेकिन विस्तार से एक दिन में सवा चार लाख लीटर भूमिगत जल खर्च करेगा। इसकी

अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जावेगी। मैं पूरजोर आपत्ति करता हूँ, ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार एस. आई.ए. टीम के द्वारा अध्ययन, सैंपलिंग फ्रेम में गांव, घर एवं जिला तथा तहसील स्तर के अधिकारी एवं स्थानीय नेता से मिलकर योजना बनाने की बात कही गई है, जो गलत है। अगर टीम आई होती तो प्रस्तावित कोलवाशरी से समिप संचालित टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट तथा मेसर्स महावीर इनर्जी 12 मेगावाट द्वारा की जा रही पर्यावरणी विधटन का विवरण होता। प्रस्तावित स्थल से लगा हुआ गांव खोखरो आमा, चारमार, डोंगाभौना, सारढाप, बस्तीपाली का भी अध्ययन करते क्योंकि ये गांव प्रभावित होगी। अतः ई. आई.ए. रिपोर्ट पूरी तहर गलत है एवं काल्पनिक है। ग्राम-भेंगारी में मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन 12 मेगावाट को जो कि बायोमास आधारित है को अनुमति मिला था जिसमें 90 प्रतिशत भुसा से तथा 10 प्रतिशत कोयला जलाने की अनुमति थी लेकिन उलट यह कंपनी 90 प्रतिशत कोयला तथा 10 प्रतिशत भुसा का उपयोग कर रही है जिसके कारण निकलने वाली फ्लाई ऐश राख का विगत 10 वर्षों में पहाड़ खड़ा कर दिया, जिससे बड़े झाड़ के जंगल किनारे पहाड़ जैसे ढेर किया है तथा महावीर इनर्जी कोल बेनिफिकेशन 12 मेगावाट को भू-गर्भ जल से 2 वर्ष दोहन करने की अनुमति थी लेकिन आज तक पिछले 10 वर्षों से बदस्तूर भूगर्भ जल का दोहन जारी है जो कि हमारे गांव नावापारा, भेंगारी, चारमार एवं कटंगडीह के निवासी जितने पानी को 100 वर्षों तक निस्तार करते उसे कंपनी द्वारा महज 10 वर्षों में दोहन कर दिया। हमारे गांव नावापारा, भेंगारी, चारमार, कटंगडीह के निवासी के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। हमें विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राख का पहाड़ मिला है और कुछ भी नहीं, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें हमारी परंपरागत जीवन संकट में पड़ जावें। बल्कि महावीर इनर्जी कोल बेनिफिकेशन 12 मेगावाट को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया जावें ताकि हम अपने परंपरागत जीवन शैली का शुरूआत कर सके। इसलिये कि महावीर इनर्जी कोल बेनिफिकेशन द्वारा संयंत्र स्थापना के 2 वर्ष बाद मांड नदी से पानी लाने का वाटा किया था लेकिन आज तक 10 वर्ष से भू-गर्भ जल का दोहन करना जारी है क्योंकि मांड नदी से जल लाने की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। भू-गर्भ जल के दोहन से नावापारा, भेंगारी, चारमार, कटंगडीह का जल स्तर में बहुत ज्यादा रिवट आई है। कंपनी प्रबंधन की ई. आई.ए. रिपोर्ट की 4.3 के अनुसार कोल वॉशरी के विस्तार के लिये पानी की पूर्ति कुरकुट नदी से की जावेगी कही गई है तथा पैराग्राफ 11.2 के अनुसार पानी की पूर्ति भूमिगत जल से की जावेगी कही गई है। इसमें सच्चाई क्या है समझ से परे है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में पास में संचालित मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट एवं मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड 12 मेगावाट जो दोनों उद्योग फिल कोल वॉशरी के प्रस्तावित स्थल से 01-01 किलोमीटर की दूरी पर संचालित है जिसका जिक्र नहीं किया गया है ताकि धोखे से पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जा सके। मेसर्स कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड जो वर्तमान में संचालित है को वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न शर्तों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

है उनमें से किसी भी शर्तों का पालन नहीं किया गया है जैसे कि फिल कोल वॉशरी का कोयला वाला दूषित जल कटंगड़ीह की खेत में बहती है और अन्य प्रकार के शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मौजुदा संचालित कोल वॉशरी को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया जावें। मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट, मेसर्स फिल कोल वॉशरी तथा मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन 12 मेगावाट इन तीनों उद्योगों के कारण हमारे गांव एवं क्षेत्र में बहुत ज्यादा औद्योगिक दबाव बढ़ चुका है। हम अपना हक रखने के लिये 03-04 घंटा भी बोलेंगे, यह हमारा हक है, हम भी बोलने के लिये 03 घंटे से लाईन में थे तो हमें भी बोलने का मौका दीजिये पुरा-पुरा। आप ही के द्वारा बनाया गया है ना ई.आई.ए. रिपोर्ट, आपको पता है इस क्षेत्र में कितने हाथी आते हैं, कितने आदमी का जान लिया गया है और कंपनी के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लगा दिये ई.आई.ए. रिपोर्ट। आपको किसी दिन मौका मिले तो इस क्षेत्र में आईये हम आपको बतायेंगे कि यह क्षेत्र कितना हाथी प्रभावित क्षेत्र है लेकिन आपके ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। मेसर्स कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड जो वर्तमान में संचालित है को वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न शर्तों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है उनमें से किसी भी शर्तों का पालन नहीं किया गया है जैसे कि फिल कोल वॉशरी का कोयला वाला दूषित जल कटंगड़ीह की खेत में बहती है और अन्य प्रकार के शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मौजुदा संचालित कोल वॉशरी को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया जावें। मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट, मेसर्स फिल कोल वॉशरी तथा मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन 12 मेगावाट इन तीनों उद्योगों के कारण हमारे गांव एवं क्षेत्र में बहुत ज्यादा औद्योगिक दबाव बढ़ चुका है। अगर और उद्योग स्थापना की जावेगी तो हमारी परंपरागत जीवनशैली जीविका उपार्जन तथा क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत ही विनाशकारी एवं वघनकारी प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त तथ्यों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नावापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में मुझे आपत्ति है।

517. मंगलूराम –
518. गोरेलाल – मेरे को कागज जमा करना है मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
519. किशन साहू, भेंगारी – मैं कोल वाशरी के बारे में बोलना चाहूँगा। इससे पहले मेरा सवाल है, कोल वॉशरी के जो प्रभावित गांव है वो कौन-कौन से है? एक सवाल है इसका जवाब चाहिये मेरे को। कोल वॉशरी से प्रभावित गांव क्या घरघोड़ा इसमें आता है क्या, जरकट इसमें आता है क्या, कुडुमकेला इसमें आता है क्या, कुल गांव का नाम मैंने पहले नहीं सुना है ऐसे गांव वाले यहा आकर समर्थन दे रहे हैं, क्या उनको हक है इसका मुझे जवाब दीजिये। कुछ देर पहले समर्थन में लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा और यहा से चिल्ला रहे थे। क्या यहा से जो कोयला निकलेगा वो बरौद के लोग खायेंगे क्या कोयला, कि भेंगारी के लोग खायेंगे।

कोल वॉशरी जो संचालित है नावापारा में उसको 02–03 गुना बढ़ाने की बात कही जा रही है। अगर कोल वॉशरी बढ़ा तो आज जो 50 ट्रक चल रहा है वो 500 ट्रक चलेगा तो दुर्घटना और होगा। पैसो में बिके हैं आप समर्थन देख कर पता लगा लीजिये। मैं मानता हूँ कि कंपनी बैठ जाने पर किसी के घर में गाड़ी और किसी का घर बन जायेगा और किसी के पास लाखो—लाखो पैसा होगा और ये जो मजदुर बाहर से आये हैं वो 200–300 रुपये में बिके हैं, आप किसी से भी पुछ लीजिये, पैसो का बात है नहीं तो कुड़मकेला यहां से 15 किलोमीटर उनको कोई गरज नहीं है यहा आकर भाषड़ देंगे इतना धूप में। यहा पर मैं कुछ पाइंट हैं जिसे बताना चाहता हूँ यहा फिल कोल वॉशरी बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोल वॉशरी विस्तार पर आयोजित लोक सुनवाई में इस तथ्य का आपत्ति करता हूँ कि ग्राम—नवापारा, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) फिल कोल वॉशरी विस्तार हेतु प्रस्तावित स्थल से 01 किलोमीटर की दूरी पर टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट संचालित है, भेंगारी गांव से महज 01 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर 10 साल पहले देखे तो भेंगारी चारों ओर से वनोपजधारी था लेकिन अब कंपनी से घिर गया है, पूर्व में टी.आर.एन. इनर्जी, पश्चिम में महावीर और उत्तर में जिसका जनसुनवाई चल रहा है, चारों ओर से वन की मात्रा जो 100 प्रतिशत था अब वह 20 प्रतिशत बचा है और कोल वॉशरी बैठेगा तो 10 प्रतिशत पेड़ों को काट देगा और 10 प्रतिशत ही बचेगा ये जंगल। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी आजिविका जंगल से है डोरी, महुआ पान। यहा जानवर जो कभी देखने को नहीं मिलता सांभर जो इस जंगल में विचरण करते हैं वो भी विलुप्त हैं। भारतीय संविधान में एक अनुचेद है 40क जिसको 1974 में जोड़ा गया है। नरेन्द्र मोदी ने कहा था की प्रदूषण को 2026 तक कम करना है। यहा 100 प्रतिशत में 20 प्रतिशत कोयला यही से निकलता है। यहा कोल वाशरी में रोजगार पर ध्यान दे, वनों पर ध्यान दे। यहा पर बहुत सी कंपनी हैं और रोजगार के बारे में बोले थे लेकिन कोई भी रोजगार नहीं दिया। बाहर के आदमी का जितना भी समर्थन है उनको निरस्त किया जाये। यहां पांच—पांच सौ रुपये दिया गया है समर्थन के लिये सर। तीनों उद्योगों से निकलने वाले राख व प्रदूषण पदार्थ के कारण जल एवं वायु प्रदूषित हो चुकी हैं। यहां के जीवनशैली में रचनात्मक परिवर्तन हुआ है लोगों के जीवन शैली में गिरावट हई है। एक आवेदन है सर मेरे पास जिसमें विषय है फिल कोल बेनिफिकेशन के जनसुनवाई के विरोध करने के संबंध में। इस जनसुनवाई को तुरंत निरस्त किया जाये। केन्द्रीय प्रदूषण मंत्रालय के नियमों का पालन नहीं किया गया है। यह क्षेत्र हांथी प्रभावित क्षेत्र है, वनों पर प्रभाव पड़ेगा, यह क्षेत्र पांचवीं अनुसुची क्षेत्र में आता है जिसमें गांव पंचायत से अनुमति लेने होती है। पंचायत के अनुमति के बिना लोक सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है। यह जनसुनवाई बिना पंचायत के अनुमति की जा रही है। यहां गुप्त रूप से जाली हस्ताक्षर कर अनुमति दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसका यहां पूरा उल्लंघन हो रहा है। यहां पेड़ों की संख्या

लगभग 90 प्रतिशत बची है तो उसे बचाइयें। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

520. घसिया राम राठिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ। यहां बाहर के लोग यहां आकर समर्थन कर रहे हैं। तेदूपत्ता नहीं हो रहा हैं यहां है जमीन काला हो जा रहा है। ये लोकसुनवाई बंद करो क्या नुकसान हो रहा वह हमको पता है। यह लोकसुनवाई बंद करो। मेरा वहां सटा हुआ जमीन है मेरा नुकसान हो रहा है फसल बर्बाद हो रहा है आपको लोग जनसुनवाई कराकर चले जायेंगे मेरा मुआवजा कौन देगा। ग्राम पंचायत नवापारा में कितना विकास किया है इस कोल वाशरी ने। कोसम घाट से समर्थन कराने के लिये ला रहे हैं।
521. खामेश्वर, भेंगारी – कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूता हूँ देखिये आज पूर्वजों से जमीन मिला है। सड़क में यहां बहुत धुल उड़ रहा है तो हमारे बाल बच्चे कैसे करेंगे। मैं अनुग्रह करता हूँ आपसे प्रार्थना करता हूँ। विरोध करता हूँ।
522. लक्ष्मीनारायण – विरोध करता हूँ।
523. प्रकाश पटेल, भेंगारी – यहां लोग तीन तीन सौ रुपये में किमती शरीर को बेच रहा है। यहां धुल उड़ता है तो घरघोड़ा वाले खाने आयेंगे क्या। ये पुलिस वाले गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं ये यहां जतना की सेवा के लिये आयें हैं हम यहां शांति से बात रखने आये हैं। मैं विरोध करता हूँ।
524. यशवंत राठिया—अभी जो मेरे भाई लोग बोले की 300 रुपये में बिक रहें मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
525. राधिका गुप्ता, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।
526. पुष्पा गुप्ता, चारमार – मैं पुरजोर विरोध करती हूँ कोल वॉशरी के लिये। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं, पुरे 07-08 किलोमीटर से घुमकर स्कूल आ रहे हैं, उसमें हमको बहुत परेशानी हो रहा है और जाते तक हम लोगों का जीव हमारे बच्चे के मे रहता है कि घर वापस आयेगी की नहीं मेरी बच्ची या मेरा बच्चा, इतनी परेशानी है हम लोगों को कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं, आप बड़े घर के हो, आप लोग बच्चे को गाड़ी-घोड़ा में भेजते हो हम लोग साईकिल में भेजते हैं। अगर 10 मीनट के लिये भी लेट हो जाता है तो हमे कैसे लगता है आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी 01 बच्चे के मॉ हैं बाप हैं। कितने परेशानी मे है हम, हम खुद जान सकते हैं। अभी 7 बजे से परीक्षा लग रहा है तो हमको 08-10 किलोमीटर से घुमकर जाना पड़ता है कितने परेशानी मे है हम, हम खुद जान सकते हैं आप लोग नहीं समझ सकते हैं और इतना ज्यादा ट्रक चल रहा है कि मैन रोड में घुम नहीं सकते। यहा महुआ डोरी से हम लोग साल में 60-70 हजार कमा लेते हैं उतना हम लोगों के लिये काफी है और आप लोग बैठकर के कुलर और पंखा का हवा खा रहे हैं और हम लोग इतने धूप में खड़े हैं हम लोगों को मजबूरी है इसलिये

हम यहा आये हैं नहीं तो नहीं आते। आप लोग बैठ कर खाली सुन सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करना है तो हम जनता के लिये कीजिये खाली बड़े-बड़े लोगों के लिये कर रहे हैं। हम लोगों के जिंदगी का सवाल है हम लोग 50 घंटा भी बोल सकते हैं, मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ इसलिये विरोध करने आई हूँ। मैं 300-400 में अपना इमान नहीं बेच रही हूँ अपना जमीन नहीं बेच रही हूँ। लोग यहा 300-400 के लिये आये हैं, शराब पीकर आये हैं और जमीन बेच दिये हैं लेकिन हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। हम अपने हक के लिये लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिये लड़ते हैं, यहा बाहर के लोग आकर समर्थन दे रहे हैं, यहा हम लोगों को रहना है, परेशानी हमको झेलना पड़ेगा। बाहर के लोग परेशानी नहीं झेलेंगे। अभी कुछ लोग रायगढ़ से आये हैं वो यहा आकर परेशानी को नहीं झेलेंगे, यहा जो बैठेगा वहीं परेशानी झेलेगा। बाहर से आकर लोग समर्थन करा रहे हैं, और यहा के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है जा-जा कर घर-घर में पर्शनल, ये क्या सही कर रहे हैं। यहा आप जमीन खरीदे हैं तो यहां के लोगों को रोजगार दीजिये। यहा कायला खोद कर जिंदगी बरबाद करेंगे, सांस लेना मुश्किल हो जायेगा, यहा कंपनी खुल जायेगा तो हम लोग घर से निकल भी नहीं पायेंगे।

527. प्रमिला चौहान – विरोध है।
528. पद्मलता प्रधान – विरोध है।
529. सुशीला गुप्ता, चारमार – विरोध है।
530. चंद्रहासिनी गुप्ता, चयरमार – विरोध।
531. श्वेता, कुमारी, चारमार – विरोध है।
532. प्रह्लाद गुप्ता, चारमार – मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करता हूँ यहा फिल कोल वॉशरी बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड कोल वॉशरी विस्तार पर आयोजित लोक सुनवाई में इस तथ्य का आपत्ति करता हूँ कि ग्राम-नवापारा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) फिल कोल वॉशरी विस्तार हेतु प्रस्तावित स्थल से 01 किलोमीटर की दूरी पर टी.आर.एन. इनर्जी 600 मेगावाट संचालित है, एवं प्रस्तावित स्थल से 01-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेसर्स महावीर कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड 12 मेगावाट संचालित है। इन दोनों कंपनियों के बारे में क्या ही कहना इनके कारनामों को देखते हुये एन.जी.टी. गठित ओवर साईट कमेटी द्वारा टी.आर.एन. इनर्जी को 1 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना तांगी महावीर इनर्जी कोल बेनिफिकेशन को 1 करोड़ 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनको पुछिये ऐसे कारनामे कैसे करते हैं जो इतना जुर्माना लगाया जाता है। इतना जुर्माने का कुछ प्रतिशत भी अगर गांव के विकास में लगा दिया होता तो क्षेत्रवारी इसका सम्मान करते, उनका समर्थन करते। इन कंपनियों ने हमारे जीवन यापन की शैली का तबाह कर दिया है, लेकिन अब हमको पता चल गया है इसलिये इसको ह मतहे दिल से विरोध

करते हैं। इन तीनों उद्योगों से प्रतिदिन लगभग 150 ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है जिसके कारण क्षेत्र में आवागमन का दबाव बढ़ चुका है। इसके बाद भी उद्योगों का विचार करना कहा उचित है। किस आधार पर यहा अनुमति दी जाये इन्हे। इन तीनों उद्योगों से पर्यावरण असंतुलन हो गया है, इन उद्योगों से निकलने वाले राख, फ्लाई ऐश, धुआं एवं अपशिष्ट पदार्थों के कारण गांव के क्षेत्र की मृदा, जल, जंगल दुष्प्रिय हो गया है। भूमिगत जल स्तर काफी निम्न में चला गया है। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव लघु वनोपज जैसे चार, महुआ, तेंदु, डोरी, तेंदु पत्ता, सराई बीज, हरा, बेहरा, औवला तथा अन्य पारंपरिक लघु वनोपज के उत्पादन में अचानक गिरावट आई है। इसमें महुआ का ज्यादा नुकशान हुआ है, इन उद्योगों के आने से पहले महुआ का पैदावार बहुत मात्रा में होता था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे क्षेत्र में महुआ की कितनी पैदावार होती थी। हमारा गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव भी आश्रित होते थे, लेकिन इन उद्योगों के आने से संतुलन बिगड़ गया है और इससे ज्यादा तेंदु पत्ते में नुकशान हो रहा है, कुछ वर्ष पहले की बात है चारमार में तेंदुपत्ता संग्रहण एवं कटांगड़ीह में पुरे घरघोड़ा ब्लाक में संग्रहण सबसे अधिक होता था लेकिन अब वो बात नहीं रही। हमारे क्षेत्र के गांव में गर्मी छुट्टी में बहुत मेहमान आते थे क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तेंदुपत्ता उपलब्ध था, उनके बच्चों का साल भर का पढ़ाई का खर्च निकल जाता था और उन पैसों से अपनी जरूरतों को पुरा करते थे, जो दुसरे गांव से आकर तेंदुपत्ता तोड़कर अपनी मेहताना लेकर खुशी-खुशी अपने गांव विदा होते थे, इससे बाहर के लोग भी आश्रित होते थे। हमारे क्षेत्र को सब्जियों का जक्शन बोलते थे, हर घर में कई प्रकार के सब्जियों की खेती की जाती थी, प्रमुख रूप से अदरक, मेथी, लौकी, गोभी, टमाटर और भाजी की खेती ज्यादा मात्रा में किया जाता था, लेकिन आज बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं थैला लेकर। लगभग सब लोग सब्जी की खेती करना छोड़ दिये हैं और यहा सिर्फ उद्योगों के दुष्प्रभाव से विकास हुआ है ये कहा का विकास है ये विनाश है और विनाश हम क्षेत्र में होने नहीं देंगे जैसा भी परिस्थिति आ जाये हम सामना करते रहेंगे। उद्योग लगाने से पहले बड़े-बड़े वादे करते थे और रोजगार के नाम पर लोगों को मजदुरी मात्र देते हैं, ऐसे रोजगार नहीं चाहिये हम लोगों को। नौकरी बाहरी लोगों को दिया जाता है और हम लोगों को गुलाम बना दिया जाता है। जितना हमें पता है जंगली क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है लेकिन हमारे क्षेत्र में जंगलों का नष्ट कर उद्योग स्थापित किया जा रहा है। इन उद्योगों के मुताबिक हमारा क्षेत्र सुखी एवं बंजर जमीन है और जंगली जानवर का दुर-दुर तक कोई प्रभाव नहीं है। श्रीमान जी आप घरघोड़ा से होते हुये आये हैं तो कोल वॉशरी के आग्र बड़ा सा बोर्ड लिखा होगा सावधान यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहा वन्य जीव का आना-जाना लगा रहता है, हाथियों से सावधान आप देखे भी होगे। हाथी का बहुत प्रकोप है। कोल वॉशरी के सामने एक रेलवे लाईन है उसके आगे खड़े होकर देखेंगे तो वहा पर हाथी बाईपास बनाया गया है वो हाथियों के लिये ही है जिसे हम हाथी ब्रिज बोलते हैं वह इंसानों के लिये नहीं है तो बिज किसके लिये



बनाया गया है वो सिर्फ हाथी के आने-जाने के लिये है और यहा उद्योग लगेंगे तो हाथी कहा जायेंगे, हमारा ही नुकशान करेंगे। प्रकृति से छेड़-छाड़ करने से बहुत ही दुषप्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसी घटना है जिसको जानकर आपके रुह कांप जायेंगे। ये कटु सत्य है कि जब कभी मानव प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ करता है तो उसका प्रभाव मानव जाती को भुगतना पड़ता है। एक बार चीन के मार्कजाउ जो चीन के राष्ट्रपति थे जिसन चीन में गौरेया के सभी प्रजातियों को खत्म कर दिया गया गौरेया किड़े मकोड़े खाती थी चीन में सबसे ज्यादा टिड्डियों को बढ़ोतरी हुई जिससे फसल को काफी नुकसान हुआ है। चीन के फसल को काफी नुकसान हुआ इस तरह इन उद्योगों से इस क्षेत्र में यह नुकसान हो रहा है। रायगढ़ में जितने गलियां नहीं हैं उतने उद्योग यहां स्थापित हैं। यहां अंग्रेज आये और लगभग 200 वर्ष तक शासन किया तथा हमारे संस्कृति का नुकसान किया है। पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह बर्बाद हुआ है सभी कुंये सुख गये। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का विरोध करते हैं।

533. सविता रथ, जन चेतना रायगढ़ – आप लोग जो जनसुनवाई रखे हैं उसमें मैं अपनी बात रखने आई हूँ। इसमें जो भी तकनिकी बिन्दु हैं मैं उसमें अपनी बात रख रही हूँ। आज की जो जनसुनवाई है उसमें 02-03 तरीके से जो व्यवहारिक पहलू है उसमें मैं माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय और जिला पर्यावरण अधिकारी महोदय, राजस्व विभाग और ई.आई.ए. बनाने वाले अधिकारी और कंपनी इन सबको नमस्ते। आपको बता दूं कि कल 20 तारीख को राज्य में रायगढ़ की जो गर्मी थी, जो तापमान था पुरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस आका गया है। इसको देखते हुये महानदी भवन, रायपुर में आदेश जारी किया गया है कि स्कूल, कॉलेज के बच्चों को तत्काल स्कूलों को बंद करके बच्चों को छूट्टी दिया जाये। उस स्थिति में जिला प्रशासन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतनी बड़ी जनसुनवाई आप लोग आयोजित कर रहे हैं। एक तरफ आपकी सरकार के एक आदेश में जिले के तापमान को देखते हुये सरकारी कामों को, सरकारी कार्यालय को बंद करने कहा गया था और एक तरफ आप वृहद रूप में जनसुनवाई करवा रहे हैं जहां महिलाये, बच्चे, बुजुर्ग अगर आप यहा जांच करे उनके स्वास्थ्य का तो इसी 44-45 डिग्री सेल्सियस में यहा पर आप बगल में देखेंगे कि कितने परेशान हो रहे हैं, लोग अपनी बात यहा बोलने आये हैं। क्या इस जनसुनवाई को नये आदेश के अधतन टाला नहीं जा सकता था इतनी आपकी मजबूरी है कि आग बरसे, कोरोना हो जाये, बाड़ आ जाये लेकिन उद्योगपतियों का समर्थन करते हुये आप जिला प्रशासन जनसुनवाई करेंगे इतनी संवेदनहिनता हो गई है आप लोगों की, कि यहा गर्भवती, शिशुवती, महिलाये बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं इस गर्मी में यहा से लौटने के बाद अगर कोई बच्चे के तबीयत में खराबी आती है उसके लिये जिला प्रशासन क्या आपात सुविधा उपलब्ध कराई है यहा पर। मेरी इस जनसुनवाई में आपत्ति इसी बात की है कि आप मौसमी परिस्थितियों को नहीं देखते हुये आप यह जनसुनवाई करवा रहे हैं। पहली आपत्ति यह है कि इस जनसुनवाई को तत्काल प्रभाव से पहले आप निरस्त करे। अगली तारीख ज बवह

एप्लिकेशन करेगा, जब मौसम सही रहेगा, लोग आयेंगे अपनी बात रखने के लिये तब आप जनसुनवाई करवाते रहीये। इस जनसुनवाई को बंद करीये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस गर्भ में प्राण देने के लिये, हमारा भी प्राण मत खाईये और अपना प्राण भी बचा लीजिये। उद्योगपति जो यहां जनसुनवाई करा रहे हैं कृपया अपने लोगों को समझा दीजिये कि मेरे द्वारा जब तक इस ई.आई.ए. को नहीं पड़ते तक एक भी शब्द मेरे बारे में ना बोले नहीं तो 48 घंटे तक आप लोगों को यहा खड़े रहना पड़ेगा। शांत रहीये, सभ्य रहीये। मेरे आपत्ति यह है कि आप जो लोकसुनवाई का बैनर किये हैं किस बात की जनसुनवाई हो रही है नहीं मालुम, क्यों नहीं मालुम क्योंकि आपने पूर्ण जनसुनवाई के बैनर है वो अंग्रेजी में लिख डाला है, केवल लोक सुनवाई हो रही है उसके बीच में पुरा गायब है, उसमें आपने कहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु है, अस्वीकृति करने का अधिकार किसी को नहीं है, तो इस तरीके की भ्रम की स्थिति को निर्मित करने में क्या जिला प्रशासन इतना असफल है कि बिना देखे, बिना ई.आई.ए. पड़े, बिना प्राकृतिक परिस्थितियों को देखे, समझे, क्या आपका खुद का अधिकार है कि मैं कुछ निर्णय ले सकता हूँ। मैं लड़ सकती हूँ कि मुझे आज करेला नहीं बनाना है बरबटी ही बनाना है, अगर मेरे बच्चे को पसंद नहीं हैं तो आलू बनाने की वो फैसला मेरा है। उस स्थिति में इतना 40 डिग्री सेल्सियस में जनसुनवाई करवाना भगवान जाने कहा की आपकी मजबूरी है। तत्काल इस जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। उसके बाद हम आते हैं मेसर्स फिल कोल बैनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के विस्तार की जनसुनवाई में। आदरणीय आपको बता दूँ कि केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार किसी भी जनसुनवाई का आयोजन आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार के द्वारा आयोजित करा ले। आपने आवेदन के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई नहीं कराई तो ये 44 डिग्री में किसको मारने के लिये आज आपने यह जनसुनवाई आयोजित किया है। ये जो फिल कोल बैनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड आज जो आपने किया है इसकी 02 जनसुनवाई हुई है। एक घुटकु, बिलासपुर में, घुटकु, बिलासपुर में कल हुआ है आज आप यहा पर पर्यावरण स्वीकृति दे रहे हैं, घुटकु में भी विरोध हुआ है, यहा भी लोग विरोध कर रहे हैं तकनीकी रूप से भी और जमीनी रूप से भी, क्या ये फिल कोल बैनिफिकेशन की जो कोल वॉशरी है जब 02 जिले में आपत्तियां हो रही हैं तो क्या कोई स्वतंत्र जांच एजेंशी राज्य सरकार ने गठित किया दोनों यहा की स्थितियों को आंकलन करने के बाद, जब वहा कल विरोध हुआ तो रायगढ़ में जनसुनवाई करवान की क्या परिस्थिति बनती है, क्यों कराया गया नहीं मालुम, जब घुटकु का 01 दिन पहले जनसुनवाई हुआ, रायगढ़ में आज जनसुनवाई करवाने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिये इस कोल वॉशरी के लिये 02 जगह में 02 दिन के अंदर, 02 जनसुनवाई करवाने के बजाय आप लोग एक स्वतः स्वतंत्र एक जांच एजेंशी गठित करे और दोनों जगहों के विरोध के कारणों को जानने के बाद पुनः ई.आई.ए. बनाके, एस.आई.ए. बनाके अनुसुचित क्षेत्र पेसा के तहत 5 के तहत ग्रामसभा से 1 तिहाई हिस्सा महिलाओं की गांव की भागीदारी सुनिश्चित

करते हुये उनके समर्थन, असमर्थन तमाम इस ई.आई.ए. में मैं लिखे, टिप्पणी, बिन्दुओं को समझने के बाद अगर उनको एस.आई.ए. की अनुमति मलति है तब आप ई.आई.ए. बना सकते हैं अन्यथा ई.आई.ए. नहीं बना सकते हैं बिना ग्रामसभा की अनुमति के यह जो क्षेत्र है अनुसुचि पेशा ग्रामसभा, लोकसभा ना राज्यसभा सबसे ऊँचा ग्रामसभा उसमें एक तिहाई महिलाओं की हिस्सेदारी थी वो ग्रामसभा की कॉपी आपके ई.आई.ए. में नहीं लगा है अनुमति का तो किस आधार पर आप ये जनसुनवाई करवा रहे हैं। इसमें एक भी आस-पास के 10 किलोमीटर के रेडियस में ग्रामसभा के किसी भी किसम के इस जनसुनवाई को कराने का अनुमति नहीं मिली है। यहां पर व्यापक पैमाने पर लोगों के विरोध किया, क्यों किया क्योंकि पहले जिस कंपनी यहां पर स्थापित है आदरणीय आपको बता दूं कि अनुसुचित जन-जाति आयोग में इस पुरे क्षेत्र का 170ख के तहत 250 केस आज भी निराकरण नहीं हुआ है। आदिवासी जमीन का गैर आदिवासी जमीन में जो ये उद्योगपति जमीन लिये हैं पुराने शिकायतों की अभी तक जॉच नहीं हुई है वो केन्द्रीय आदिवासी आयोग के पास केस आज भी रखा हुआ है, उन 600 केस को राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग और उद्योग विभाग और वन विभाग को आपस में मिलकर सिविर लगाकर उन समस्याओं को आदिवासी विभाग के द्वारा पहले सारे तकनीकी जमीन से जुड़े खास करके आदिवासी जमीन जो गैर आदिवासी नहीं ले सकते। 170बी केस के तहत जॉच करके उसको आप किलयरेंस नहीं करेंगे और तमाम पिछले विरोधों को व आपत्तियों को उन मुआवजा की बात को उन स्थायी नौकरी की बात को वो जो तमाम आपत्तियां थीं वो नहीं हुआ है तो फिर इस कंपनी को आप विस्तार किस आधार पर दे रहे हैं मुझे हैरानी होती है। तो 170ख के 600 केस टेण्डा नवापारा टी.आर.एन. पुरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर के रेडियस में आप लोगों का अभी उलझा हुआ मामला बचा हुआ है। अभी भी आप सिविर लगाये तो ये जिस जमीन पर विस्तार की बात हो रही है उसमें ज्यादातर 170ख के आदिवासी जमीनों को लिया गया है, आप कृपया जॉच करें। यह पुरा क्षेत्र जिस किसम से स्थानीय लोग यहां बोल रहे हैं कि यह हाथी क्षेत्र है। याद होगा कि टी.आर.एन. के एक इंजिनियर जो चिनी इंजिनियर थे वो चिनी इंजिनियर मॉर्निंगवाक में गये थे और हाथी ने उन्हे पटक कर मार दिया था। फारेनर थे, चिन से थे तो उस क्षेत्र में सी.सी.एफ. छत्तीसगढ़ के आये और उन्होंने हैरानी जताई कि इस रिजर्व फारेस्ट के बीच में यह उद्योग क्या कर रहा है और यह पूर्ण हाथी वाला क्षेत्र है, हाथी का रहवास क्षेत्र है और उस क्षेत्र में हाथी ने किसी को मारा और चिनी, अमेरिकी, इटालियन, इंडियन और ग्रामीणों में अंतर हाथी नहीं कर सकते लेकिन आप तो कर सकते थे। जब सी.सी.एफ. ने आपत्ति किया है कि इस क्षेत्र में और किसी किसम की उद्योग विस्तार ना दिया जाये, नये उद्योग की स्थापना नहीं किया जाये उस स्थिति में इस जनसुनवाई को किस आधार में आपने विस्तार देने का सोचा, क्यों ये जनसुनवाई करवा रहे हैं, लोग लास बटोर रहे हैं हाथियों से, या तो हाथी मार रहा है या हाथी मर रहे हैं, दोनों एक दूंद हैं, जब तक इसमें किलयरेंस नहीं होगा, डी.एफ.ओ. साहब यह स्पष्ट करें यहा आकर कि वो किसको मुआवजा बांटे,

किसके ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ, कितने लोग जेल में हैं, यहा हाथी को मारने को लेकर, चितल को मारने को लेकर, जंगली सुअर को मारने को लेकर, या तो यहा जंगल नहीं है तो जो निर्देश लोग जेल के अंदर है उनको आप बाहर कीजिये और अगर है तो इस तरीके के औद्योगिक विस्तार को तत्काल निरस्त करें। मैं अभी इनका ई.आई.ए. देख रही थी, खास करके इन्होने लिखा है, इसमें कहते हैं कि इनको पानी चाहिये, किससे कुरकुट नदी से पानी लेंगे, वही पर आपको बता दूं थोड़ा सा पेज क्रमांक और पलटेंगे तो टीम कहती है कि ये भू-जल दोहन करेंगे आपके ई.आई.ए. में तीन किसम की चिजे नजर आ रही हैं, घुटकु के ई.आई.ए. के दो पेज यहा पर हैं, रायगढ़ के दो पेज वहा लगे हैं तो थोड़ा ठीक-ठाक बना लीजिये अपने ई.आई.ए. को, किस तरीके की वाहियात ई.आई.ए. डालते हैं, आप पानी कहा से लेंगे। एक तरफ बोल रहे हैं कि पानी बिलकुल नहीं चाहिये, दुसरी तरफ बोल रहे हैं कि कुरकुट नदी से पानी लेंगे क्योंकि जिंदल के साथ इनका टाई हुआ है उनके डेम से, राबो डेम से वही तीसरा बात आती है कि ये भू-जल का पानी लेंगे, क्या करेंगे और ये लिखते हैं कि ये वर्षा जल को संचयित करेंगे तो चारों किसम के पानी जनता से छिन कर खुद ही उपयोग कर लोगे। हमारे लिये पानी नहीं छोड़ोगे, नदी का भी पानी ले लोगो, वर्षा जल भी संचयित कर लोगो, भू-जल भी ले लोगो तो पानी हमारा नहीं छोड़ोगे आप लोग। और ये लिखते हैं अध्याय 12 में अपना जो ई.आई.ए. बनाया है ई.आई.ए. में अध्याय 12 में जो सलाहकार का प्रक्रिटीकरण, आपको बता दूं पाईनियर इनवायरो लेबोरेट्री कंसल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड ये अपने सलाहकार का किस तरीके से काम करता है उसमें अपनी तारीफ लिखा है, लिखते हैं कि पाईनियर इनवायरो पर्यावरण इंजिनियर और पर्यावरण प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों पर पेशेवर एक टीम है, पेशेवर टीम है उनका कोई भावात्मक लेना-देना नहीं है वो पेशा करते हैं, धंधा करते हैं, इनकी ई.आई.ए. कितना महत्वपूर्ण है ये खुद लिख रहे हैं कि वो पेशेवर है। और लिख रहे हैं कि हम अपनी टीम को अगले 02 वर्षों में दुगुना कर देंगे, कितने लोगों की टीम ने ये ई.आई.ए. बनाया है, संख्या बताई ये, क्या 02 लोग बैठकर के लैपटाम में इसको लिखा है, जमीन से उतरा है इसको आप दुगुना करेंगे, कितने इस रिसर्च टीम में रहा और कितना 02 वर्षों में आप दुगुना कर देंगे। बधाई हो आप लोगों के उन्नति का लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। वही ये कहते हैं कि ताकि हमारे ग्राहम समान सेवाओं के लिये समय पर भुगतान कर सके, तो ये सरकार की एजेंसी नहीं है, पेशेवर व्यवसायिक कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन का एक टीम है जो अपनी टीम घटाती-बढ़ाती रहेगी और अपने तरीके से हमारे क्षेत्र को भाड़े में लिखकर सरकार को बरगलाती रहेगी और धन्य वो उद्योगपति आप लोग पढ़े-लिखे लोगों को न्युक्ति काहे नहीं करते हैं, कम से कम अध्ययन कराते हो तो अध्ययन में साथ रहा करो। ये बोलते हैं परियोजना में जल की आवश्यकता भू-जल से करेंगे, मैं पिछे से बता रही हूँ सामने से नहीं दिखा रही हूँ आपको बता दूं कुछ चिजे जो नोट है उन चिजों को देखना चाहिये हम सबको नहीं बतायेंगे क्योंकि हमको तो केस लगाना है, ड्रफ्ट ई.आई.ए. में सब नहीं बता देंगे नहीं तो बनाकर आप लोग

सुधार लोगे। यहा पर ये बोलते हैं कि सामाजिक प्रभाव आंकलन में इन्होने केवल जनसंख्या देखा, इन्होने आंगनबाड़ी, गर्भवती, शिशुवती, उनके खाद्य सुरक्षा, उनके जल स्त्रोत, उनके वनोपज संग्रहण तमाम चिजों को उन्होने नहीं देखा, केवल जनसंख्या उठा कर डाल दिया वो भी 2011 जनगणना का, आज के डेट में डोर-टू-डोर सर्वे नहीं किया गया। ये कहते हैं कि प्रस्तावित विस्तार परियोजना में भू-जल पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कुरकुट नदी से पानी लेंगे। वही पर पेज नंबर 11 में बोलते हैं कि भू-गर्भ से पानी लेंगे। इन्होने जो डाला है 10 किलोमीटर के रेडियस में यहा से हम जहां बैठे हैं 8 किलोमीटर के रेडियस में बिलास एक जगह है, बिलासखार में सामुदायिक वन अधिकार पट्टा संग्रहण में दे रखा है, एस.डी.एम. घरघोड़ा के डेटा में है आपको डेटा में उपलब्ध करा दूंगी तो जब 10 किलोमीटर रेडियस में आपके सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन का जो सी.एम. का सपनों का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, कैम्पा प्रोजेक्ट चल रहा है जंगलों को विस्तार देने के लिये तो आप क्यों इस जनसुनवाई को करवा के अपना फदिहत करवा रहे हैं ये जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर दे। इनको नहीं दिखा की कोई भी जीव संकटग्रस्थ नहीं दिखा और नहीं दिखेगा क्योंकि आप पेशेवर लोग हो, संकटग्रस्थ पुरे मानव जीवन पर आ गया है, यहा का ना आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, ना यूरिन, ब्लड, ॲक्स किसी का टेस्ट नहीं कराया आपने इस जनसुनवाई को करवाने के लिये फर्जी ई.आई.ए. कॉपी-पेस्ट कर दिया है। मैं लिखित में अपनी आपत्ति सौप रहीं हूँ।

534. रेवती, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
535. कमला, टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
536. समीरो – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
537. मानमति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
538. रतना बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
539. सुंदरमति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
540. डोकरी बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
541. सवनवति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
542. पार्वती, टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
543. गौरी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
544. रुकमणी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
545. यशोदा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
546. माधुरी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
547. सहोद्रा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

548. अमरिका, डंगनीनारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
549. रतनकुंवर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
550. सियाबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
551. श्याम बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
552. कविता, बरतीपाली – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
553. रोहितराम – हमारे नवापारा भेंगारी में ०३-०४ कंपनी खुल गया है मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
554. मंगलु गुप्ता – मैं बहुत विरोध किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
555. गणेश राम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
556. नंदन, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
557. अनुज, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
558. रमेश, टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
559. चित्राबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
560. ललिता – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
561. रवि चौहान, कापु – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
562. विद्धा नारायण – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
563. झनकराम –
564. कार्तिकराम, टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
565. साधुराम, – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
566. उग्रसेन – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
567. गजानंद, टेण्डा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
568. बसंत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
569. चनेसराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
570. चुड़ानंद – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
571. महंतवती – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
572. रेवती – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
573. कमला – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
574. राजकुमारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

575. सरिता – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
576. गणेशी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
577. धनमेत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
578. संतोषी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
579. चमरोबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
580. दरसमति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
581. धुमरा पटेल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
582. रजनी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
583. नंदकुंवर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
584. विमला – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
585. सुंदरमति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
586. पुनम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
587. सुमित्रा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
588. मधु, भेंगारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
589. रामबाई – हमारा काई खेती नहीं है मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
590. अमृत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
591. बलवीर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
592. पुष्पा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
593. गीता – विरोध।
594. विरोध –
595. दूर्गा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
596. पूजा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
597. चंपा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
598. फुलबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
599. सरोज – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
600. माधुरी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
601. धनेश्वरी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
602. परमेश्वरी – विरोध।
603. कृतिराम, टेण्डा नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

604. हेमंत, भेंगारी – विरोध।
605. मंतुराम – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
606. मोती कुमार – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
607. ननकीराम, छोटे गुमड़ा – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
608. कृष्ण कुमार, नवापारा टेण्डा – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
609. राम, नवापारा – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
610. हृदयराम – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
611. संजय, भेंगारी – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। मेरो को रोजगार दिया जाये।
612. उमेश, टेण्डा – हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार को रोजगार दिलायेंगे क्या? मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
613. कृष्ण – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
614. मुकेश – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
615. भागीरथ – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
616. मुकेश – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
617. सालिकराम, नवापारा – विरोध करता हूँ, गुंडागर्दी करता है।
618. श्यामलाल – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
619. रवि – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
620. श्यामलाल – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
621. आशादास महंत – मैं पिछले 14 साल पहले भी आया था मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है लेकिन पहले हमे आश्वासन दिया गया था कि सी.एस.आर. मद से लाइब्रेरी बनाये लेकिन आज तक नहीं बनी है। हम पसिया पी के रह जाते थे लेकिन आज उद्योग के आने से हमे भटकना नहीं पड़ता है। प्रबंधन नौकरी देकर पैसे को रोक देते हैं। उद्योग जो लगाया जा रहा है उसमें वे केवल मलाई को ना खाये विकास कार्यों में लगाये। पहले कोरोना से लोग मर रहे थे लेकिन इस सारे अभाव को कम किया है उद्योगों ने, उद्योगों में रोजगार के होने से हमें फायदा होता है और उद्योग लगना चाहिये। मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
622. चेतन, भेंगारी – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
623. संभु – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
624. बोधसिंह – मेसर्स फ़िल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

625. मंगल प्रसाद – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
626. दिनबंधु – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
627. ललित राठिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
628. अनिल कुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
629. करण राठिया, भेंगारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
630. लोकेश्वर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
631. ओम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
632. अभिषेक – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
633. धनंजय – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
634. तिहारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
635. मुनी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
636. राधिका – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
637. गौरी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
638. रश्मि – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
639. पार्वती – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
640. कांति बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
641. श्यामबाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
642. इतवारिन – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
643. गुरबारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
644. घुराई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
645. चरमार – विरोध।
646. राधा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
647. राम कुमारी – विरोध।
648. संतोषी – विरोध।
649. सावित्री – विरोध।
650. मिरा बाई – विरोध।
651. सुंदरमती – विरोध।
652. ममता, चारमार – विरोध।
653. अंबिका – विरोध।

654. सुरेन्द्र गुप्ता, छोटे गुमड़ा – कंपनी के जितने भी विरोध करने के लिये आये हैं मैं भी पिछे रहता। हम 02–04 लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं होता। सी.एस.आर. मद का पैसा दूसरे जगह उपयोग कर रहे हैं इसको यही करना चाहिये। विरोध करता हूँ।
655. मालती – विरोध।
656. सुकवारा – विरोध।
657. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – यहा सुबह से जनसुनवाई का एक दौर यहा चल रहा है और जनसुनवाई में अधिकतर लोगों ने दो चिज़ कहा कि ये जनसुनवाई के विस्तार का मैं समर्थन करता हूँ या विरोध करता हूँ जो आज की जनसुनवाई हो रही है ये जनसुनवाई का मतलब है कि जनसुनवाई के और इस कंपनी के विस्तार से यहा के आस-पास के वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस पर एक ई.आई.ए. बनाई गई है जो पब्लिक के बीच में रखी गई है और उसका मकसद यह है कि अगर उस ई.आई.ए. में कोई त्रुटी है कोई कमी है तो आम जनता की बीच में विचार करीये उनके सोचने के लिये, उनके समर्थन के लिये ये ई.आई.ए. रखी गई है। अगर इस ई.आई.ए. का दस्तावेज़ का मैं अध्ययन जो किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की यह जो जनसुनवाई हो रही है वो 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के मुताबिक हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रक्रिया के अधिसूचना के मुताबिक सबसे पहले जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र के जो प्रभावित गांव है वहा इसकी ई.आई.ए. जानी चाहिये परन्तु वो 10 किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र के ऐरिया में, ग्रामपंचायतों में ई.आई.ए. नहीं गई है। बुनियादी सवाल यह है ये जनसुनवाई पहली एसी जनसुनवाई है जिसकी जनसुनवाई को हमारे जैसे लोगों को 5 दिन पहले पता चला कि किसी कंपनी की जनसुनवाई हो रही है, जब गांव के लोगों ने हल्ला किया तब भी मैं कन्फ्यूजन में था कि ये जनसुनवाई बिलासपुर की जो घुटकु की है कहीं उस जनसुनवाई के विषय में गांव के लोगों को गुमराह तो नहीं किया गया और अभी परसो जब मैं पर्यावरण विभाग गया तो वहा एक जयंत जी है उन्होंने बताया की हा टेण्डा नवापारा में जनसुनवाई है तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस जनसुनवाई की प्रक्रिया का जितना प्रचार-प्रसार समुदाय के बीच में होना चाहिये क्या उतना दिया गया है तो शायद मैं कहुँगा कि नहीं किया गया है। इस ई.आई.ए. का मैं अध्ययन किया और इस ई.आई.ए. के अध्ययन की बात करेंगे तो केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय यह कहता है कि किसी भी ई.आई.ए. के अंदर साड़े तीन साल पुराने डाटा नहीं चलेंगे और वही डाटा ई.आई.ए. के अंदर मान्य होंगे जो साड़े तीन साल के अंदर के डाटा है वो ई.आई.ए. के अंदर होना चाहिये। मेरे अध्ययन के मुताबिक इसमें जितने भी डाटा है वो सन 2001 के मुताबिक जो डाटा है वो डाले गये हैं। यहा जब अध्ययन किया गया तो यहा सब सरपंच और पंच बैठे हैं, कंपनी ने कहा है कि 15 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक इस पुरे क्षेत्र का अध्ययन किया गया, मैंने गांव के लोगों से बात किया असलियत यह है कि इस क्षेत्र में इस दौरान कोई भी व्यक्ति अध्ययन करने गया ही

नहीं क्योंकि ना सरपंच को मालूम है, ना चौकीदार को मालूम है, ना किसी को मालूम है तो फिर अध्ययन किसके साथ हुआ, अध्ययन तो पब्लिक के साथ होना था, जल का सैंपल लेना था, वायु का सैंपल लेना था, ध्वनि का सैंपल लेना था, जो गांव के आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उसके डाटे नहीं हैं, प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल यहां हैं लगभग 1000 की संख्या में बच्चे पड़ते हैं उनके कोई इसमें डाटा नहीं है, तो 10 किलोमीटर के अंदर ना आप आंगनबाड़ी के डाटा लोगे जो कि प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले अभी रायगढ़ में हैं तो वर्तमान में बच्चे हैं। अभी 08 दिन पहले एक मिस्टर पटेल है जो हार्ट स्पेसिलिस्ट है उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 40 बच्चे, 50 बच्चे के रोज का ट्रेस्ट अस्थमा के बच्चे उनके पास रोज आते हैं, ये आपके डाटा में कहीं नहीं हैं कि अस्थमा से हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और उनका कहना है कि बच्चा 01 साल, डेढ़ साल से लेकर 10 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको अस्थमा की बीमारी होती है। पहले अस्थमा जो होता था 50 साल के ऊपर के लोगों को होता था तो ये भी कहीं अध्ययन नहीं है, तो फिर अध्ययन किस बात का किया गया। आपके ई.आई.ए. में लिखा है कि यहा किसी भी प्रकार के जंगली जानवर नहीं पाये जाते, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहा टी.आर.एन. कंपनी का चिन का एक इंजिनियर था, मार्निंगवाक कर रहा था, हाथी निकला, उसकी सेल्फि लेने लगा और सेल्फी का परिणाम यह निकला कि इंजिनियर हमेशा के लिये यहा से चला गया। ये रिकार्ड आपके नहीं हैं। 15 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि हाथियों के कुचलने से जिनकी मौत हुई है इस 10 किलोमीटर के एरिया में, ऐसे 5 प्राईमरी स्कूलें हैं जहां केवल हाथी नहीं स्कूलों के अंदर भालु घुसे हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सरकार के लोग बोल रहे हैं जो मंच में हमारे पर्यावरण अधिकारी बैठे हैं, कलेक्टर उस समय थे उन्होंने कहा कि स्कूलों में यहा भालु घुसे और अगर ये सब दस्तावेज गलत हैं तो फिर वन विभाग ने घरघोड़ा क्षेत्र के अंदर इन विगत 10 सालों के अंदर 40 करोड़ से ऊपर का मुआवजा हाथी क्षतिपूर्ति का दिया है तो क्या वन विभाग ने भ्रष्टाचार किया है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उन पर अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिये और उन्होंने सही-सही मुआवजा दिया है इसका मतलब है आपकी ई.आई.ए. गलत है। आपने इस ई.आई.ए. में यह नहीं बताया कि इस कंपनी ने पानी की स्वीकृति का फर्जी पत्र दिया था जल संसाधन विभाग को और जल संसाधन विभाग के एस.डी.ओ. ने इनके प्रबंधन के ऊपर एफ.आई.आर. करने का आदेश दिया था। ये देख लीजिये जल संसाधन विभाग ने इस कंपनी के प्रबंधन के ऊपर गलत जल का एन.ओ.सी. देने के आपत्ति में एफ.आई.आर. करने का आदेश दिया है इसमें है कहीं? इस कंपनी का पुरा जो क्षेत्र है लगभग 25 एकड़ है, इस जमीन का जो डाईवर्सन क्षेत्र है वो 4 एकड़ है, साढ़े 4 एकड़, साढ़े 4 एकड़ जमीन का डाईवर्सन करवा के ये कंपनी पहले से 21 एकड़ जमीन में कोल वॉशरी का काम कर रही है। एस.डी.एम. साहब यहा बैठे हैं आप पता लगा लीजिये, आर.आई. साहब बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, पटवारी बैठे हैं आप पता लगा लीजिये। और बोल रहे हैं कि आपके ई.आई.ए. में जंगली जानवरों का तर्क नहीं इस

कंपनी के जस्ट गेट के सामने दाहिने साईड में एक बोर्ड लगा है हाथी प्रभावित क्षेत्र है, परन्तु ई.आई.ए. में कहीं तर्क नहीं है और मेरे साथ चलिये टी.आर.एन. कंपनी के जस्ट पीछे वन विभाग ने 25 लाख रुपये लगाकर हाथियों का पानी पीने के लिये तालाब बनाया है। तो हाथी नहीं है, जंगली जानवर नहीं है तो तालाब किसके लिये बनाये गये, या तो जंगल विभाग गलत है या कि हमारी ई.आई.ए. गलत है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र का देखे, ये 5वीं अनुसुची क्षेत्र है यहा पेसा एकट कानुन लागू होता है, पेसा एकट कानुन यह कहता है कि बिना ग्रामसभा के अनुमति के बगैर आप ग्रामपंचायत के अंदर कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते तो फिर बिना ग्रामसभा के अनुमति के बगैर, बिना सरपंच से मिले, बिना पंच से मिले इस ई.आई.ए. का अध्ययन कैसे हो गया। और कंपनी को अगर देखे आपके इसमें लिखा है कि इससे काफी ज्यादा रोजगार मिलेगा, रायगढ़ जिले में यह बताईये कि इस कंपनी का एक तो पहला बैनर आपने इंगलिस में लगाया है कि लोग अपनी बात कह ही नहीं सके क्योंकि यहा के लोगों को सही—सही हिन्दी भी नहीं आती यह जो क्षेत्र है यहा लाग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं या कि यहा प्योर उड़िया बोला जाता है तो पहला यह है कि आप 0.96 एम.टी.पी.ए. लिख रहे हैं और अगर इसका विस्तार होगा तो 5.5 एम.टी.पी.ए. हो जायेगा यानी कंपनी का विस्तार ढाई गुना हो जायेगा और ढाई गुना ज्यादा होगा तो इस कंपनी में पहले 500 डंफर चलते थे, ट्रक चलते थे इसका मतलब अब उनकी संख्या 2500 हो जायेगी और आप यभी नहीं बता रहे हैं कि रायगढ़ में रोड कहा है जहां ये डंफर चलेंगे। मेरे जिले में सुचना का अधिकार बहुत गलत है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे हाथ कुछ दस्तावेज लगे, रायगढ़ जिले में पिछले साल 2021 मार्च तक 833 करोड़ रुपये सरकार को रायल्टी मिली, खनन से, रेत से, कोयले से, बाक्साईड से 342 करोड़ इनके पास डी.एम.एफ. का है, और 150 करोड़ रुपये कंपनी का सी.एस.आर. जमा करवाया है, यानी अगर सब को जोड़ लिया जाये अगर राज्य सरकार से कोई मदद ना मिले तब भी हमारे जिला प्रशासन के पास जो पैसा है सकेल के वो 1500 करोड़ रुपये है। यानी 575 ग्रामपंचायतें रायगढ़ जिले के अंदर हैं अगर एक गांव को अगर पैसे की बात करे तो केवल डिस्ट्रीक फंड, हमारी जो रायल्टी और सी.एस.आर. इनको दिया जाये तो एक—एक ग्रामपंचायत को 3—3 करोड़ एक साल का बनता है और राज्य सरकार का पैसा ना मिले तब भी, क्या अपनी ग्रामपंचायत अपना विकास नहीं कर सकती। यहा ई.आई.ए. बनाने वाले साथी मेरे बहुत पुराने रिस्ते हैं लगभग 10—15 साल पुराने हैं। कम से कम आपने 10—15 ई.आई.ए. इसी साल बनाया है उनमें से 5—7 ई.आई.ए., सभी ई.आई.ए. में हम लोगों ने बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है। जितनी भी जनसुनवाई आपने करवाई होगी, देखी होगी विकास करने का हर कंपनी दावा कर रही है, कि कंपनी खुलेगी, विकास होगा, लोगों की सुविधाये बढ़ेगी और यहा पुरा राम राज्य आ जायेगा। आपको बता दूँ विगत 4 साल के अंदर रायगढ़ जिले में 250 बलात्कार हुये हैं, लगभग 350 लोगों के मर्डर हुये और औद्योगिकीकरण का सबरो जो फायदा रहा वो अपराध बढ़े, बलात्कार बढ़े, किडनैपिंग बढ़ी, धाखाधड़ी बढ़ी और यहा के

आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी हुआ। इस क्षेत्र के 286, 170ख के मामले अनुसुचित जनजाति आयोग में मेरे दिये गये हैं आप पता लगा लीजिये और पुरे रायगढ़ जिले में 856 केस अनुसुचित जनजाति आयोग में लगे हुये हैं, 170ख के मामले में जिस तरीके से है क्या ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है जो यहा के लोगों का इस देश के लोगों को संविधान के अंदर आर्टिकल 21 जिने का अधिकार देता है और आप विकास करेंगे। रायगढ़ के रोजगार कार्यालय में 2 लाख 20 हजार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है, आज की जनसुनवाई में भी आप देख लीजिये कि यहा हमारे भाई लोग खड़े हैं 80 प्रतिशत नौजवान लोग हैं और ये बेरोजगार लोग हैं और इनको नौकरी मिल गई होती तो इस जगह पर ये समर्थन और विरोध करने नहीं आते, नौकरी कर रहे होते। और इनके अंदर इनका सोशल इंप्रेक्ट क्या है, पिछले साथियों ने कहा कि अभी तीन दिन पहले यहा 44 डिग्री गर्मी थी। जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ का जंगल का औसत था वो 43 प्रतिशत था आज वर्तमान में जो जंगल का क्षेत्र बचा है वो 30 प्रतिशत है। यानी इन 22 सालों में हमने 13 प्रतिशत जंगल को खो दिया और उसके बदले बड़े-बड़े सरकार के प्रोजेक्ट हैं कैम्पा हैं वहा बड़े-बड़े डाकु बैठे हैं जो रात-दिन अपना गँग बनाकर जंगलों को लुट रहे हैं। मैं यह कह सकता हूँ इन 40 सालों में रायगढ़ इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी, जितना भ्रष्टाचार यहा है आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषण आहार में भी हमारी व्यवस्था अगर कमिशन खा जाती है और भ्रष्टाचार कर जाती है, अगर कोरोना काल में मशीनरी खरिदने में डी.एम.एफ. के पैसे से करोड़ों और अरबों रुपये का जो भ्रष्टाचार हो सकता है तो ये चाल और चरित्र का जो किसी से छिपा ही नहीं है। अभी एस.ई.सी.एल. के जी.एम. से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले ये जो रोड है खरसिया से लेकर घरघोड़ा तक पिछले साल, दो चार साल पहले एस.ई.सी.एल. ने रोड को बनवाया था बेहतर रोड बनी थी, एस.ई.सी.एल. ने फिर प्रस्ताव रखा था इस रोड को बनाने का जिला प्रशासन ने कहा ये तुम मत बनवाओ ये पैसा मुझे दे दो और क्यों दे दो, दे इसलिये दे दो क्योंकि 100 रुपये में हम 40 रुपये खर्च करेंगे और 60 रुपये हम लुट खायेंगे तो बेहतर सड़के नहीं बनेंगी, बेहतर स्कूलें नहीं बनेंगी, बेहतर हास्पिटल नहीं बनेगा, स्कूलों में गुरुजी नहीं होंगे, हास्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे, नर्स नहीं होंगे, दवाई नहीं होंगी, इस्टुमेंट नहीं होगी और विकास होगा ये मोदी जी ने अच्छे दिन जैसे हैं और इसको हम 30 साल से सुन रहे हैं कि विकास हो रहा है। आपको मालूम है रायगढ़ जिले में आज लगभग 12 प्रतिशत लोगों को कैंसर हो रहा है उस 12 प्रतिशत में से 7 प्रतिशत महिलाये कैंसर से पिछित हो रही हैं, 52 प्रतिशत लोगों को दमा है, इस्नोफिलिया है, यहा सिलिकोसिस की बीमारी फैल रही है आज तक इनका कोई स्वास्थ्य परिक्षण नहीं हुआ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ और पिछले भी जनसुनवाई में हमने आपसे अनुरोध किया था कि जिन क्षेत्रों में कंपनी स्थापित हो रही है या विस्तार हो रहा है कम से कम वहा के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिये। मैं यहां कंपनी का विरोध, समर्थन करने नहीं आया हूँ यहा कोई वोटिंग नहीं हो रही है यहा पर आपकी जो कृटिक ई.आई.

ए. है उसमें कुछ कमबेसी है उसमें मैं सप्लिमेंट्री करने आया हूँ जो समाज, समुदाय और कंपनी प्रशासन। मैं यही कहना चाहता था कि जो पर्यावरणीय मुददों पर अध्ययन हुआ, ये पुरा क्षेत्र 03 तरीके का यहां तेंदू पत्ता, महुआ, चिराँजी, डोरी इस क्षेत्र उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के चलते क्षेत्र में प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिये कि हम पर्यावरण को प्रभाव से हम खत्म तो नहीं कर सकते परन्तु इसको कम कैसे किया जाये इस पर हम सभी लोगों को विचार करना चाहिये क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ मुददा है और मुझे लगता है कि प्रशासन, कंपनी, कंपनी को सलाह देने वाले लोग और स्थानिय लोग मिलकर के काम करेंगे तभी मुझे लगता है कि पर्यावरण ये किसी व्यक्ति का, विशेष का, कंपनी का आवश्यकता नहीं है बल्कि ये पुरे जीवन की आवश्यकता है, इस पर लोगों को विचायर करना चाहिये और इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।

658. भोजकुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। नौकरी भी तो दे रही है।
659. शांति – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
660. राजू – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
661. पुतनी बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का विरोध है।
662. भीना – विरोध है।
663. सुकराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
664. बेलमती, नवापारा – विरोध।
665. सुनीता – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
666. रथबाई, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
667. उसतराम – विरोध है।
668. ताराबती – विरोध।
669. तोषबाई – विरोध।
670. गायत्री – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
671. दिव्या – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
672. कार्तिक राठिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
673. शिवा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
674. सुखराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
675. दादूराम, भेंगारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
676. कुलदिप – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
677. निर्मल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

678. दिनेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
679. बेणु – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
680. रामलाल – विरोध।
681. श्यामलाल – विरोध।
682. दीपक – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
683. गजानंद – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
684. सफेद – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
685. रोहित – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
686. देवसिंह – विरोध।
687. देवलाल, भेंगारी – विरोध।
688. उमेश – विरोध।
689. हिरालाल, भेंगारी – कंपनी ने मेरी जमीन में समान गिराया दिया। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
690. उत्तरा – विरोध है।
691. पिथरा सिंह – विरोध है।
692. मनोज, भेंगारी – इस कंपनी के विस्तार में आपत्ति जताता हूं। 01 किलोमीटर की दूरी पर टीआरएन इनर्जी है तथा 1.5 किलो मीटर की दूरी पर तथा इसके बाद महावीर कोल वाशरी है जिसमें लगभग 600 ट्रक चले रहे हैं तथा काला धुल उड़ रहा है। कृषि उत्पादन में गिरावट आई है हरी भिंची इस क्षेत्र में मशहूर था जिसका मूल्य 5 रुपया अतिरिक्त बिकता था। वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं जैव पर्यावरण पर भयानक स्थिति हो रही है। इन तीन कंपनियों को माननीय एनजीटी के द्वारा राख के रख रखाव के संबंध में जुर्माना किया गया है। स्थल से लगा हुआ सभी गांवों का उल्लेख ई.आई.ए. में होता यह ईआईए गलत है। यहां इन कंपनियों के द्वारा भू जल का दोहन किया जा रहा है हमारे गांव नवापारा, भेंगारी, चारमाल के निवासियों के साथ धोख किया गया है। इन उद्योगों के द्वारा माण्ड नदी से जल लेने की बात कही जाती है जो कहीं भी संभव नहीं दिखाई देती है। इस उद्योग के द्वारा कुरकुट नदी से पानी लेने के बात कही गई है जो गलत है। फिल कोल वाशरी के द्वारा पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है इसका काला पानी खेतों में जा रहा है। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का पूरजोर विरोध करता हूं।
693. गणपति माझी – विरोध है।
694. श्यामलाल, कटंगडीह – हमारे खेत काफी कोयला है मैं इसका विरोध करता हूं।

695. लक्ष्मीनाराण, कटंगडीह – मैं एक छोटा किसान का बेटा हूं इस कोल वाशरी से निकलने वाले जो डस्ट है वो हमारे खेत में जाता है। विरोध करता हूं।
696. रवीन्द्र – विरोध है।
697. ओमप्रकाश गुप्ता, भेंगारी – कंपनी का सक्त विरोध करता हूं। फ़िल कोल बैनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड कोल वॉशरी के विस्तार की जो जनसुनवाई के निम्नलिखित बिन्दुओं को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसमें पहला बिन्दु है केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार किसी भी पर्यावरण जनसुनवाई हेतु आवेदन के 45 दिन के अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी अगर किसी कारणवश आवेदन के 45 दिन के अंदर राज्य सरकार जनसुनवाई का आयोजन नहीं कर पाती है तो इस रिथ्ति में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय समिति का गठन करके जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी। इन परिस्थिति में 20.04.2022 को जनसुनवाई के आयोजन में 45 दिन के ऊपर समय हो गई इसलिये राज्य सरकार को जनसुनवाई करवाने का कोई अधिकार नहीं है, इसिलिये हम जनसुनवाई का सक्त विरोध करते हैं। दूसरा पाईंट यह है कि 14 सितम्बर 2006 के अनुसार जनसुनवाई हेतु परियोजना के 10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर आने वाले प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों को ग्रामपंचायत में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिये एवं प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जाना चाहिये जो जिला पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर द्वारा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों नहीं किया गया जिसके कारण 20.04.2022 को होने वाली जनसुनवाई की जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है। इसलिये उपलब्ध जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये। तीसरा हमारा पाईंट है कंपनी द्वारा पूर्व में स्थित कंपनी में पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया गया है जो केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के दिये गये शर्तों के अनुसार पालन किया जाना चाहिये था, कोल वॉशरी के चारों तरफ वृक्षारोपण एवं पानी का छिड़काव करवाना था एवं कंपनी में इसके आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर प्रदूषण का प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है इसलिये कंपनी को विस्तार हेतु अनुमति प्रदान ना किया जाये। चौथा पाईंट है यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है जहां आये दिन हाथियों का आवगमन होते रहता है, इस क्षेत्र के लोगों को जीवन यापन के लिये लोगों को तेंदु पत्ता, महुआ, चार, बेहरा, औंबला जैसे कम हाने के कारण रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जिससे लोगों को रोजगार के लिये मेहनत करना होगा इसलिये इस जनसुनवाई का व्यापक पैमाने पर विरोध करता हूं। पॉचवा हमारा पाईंट है यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है जहां ग्रामपंचायत को विशेषाधिकार है कि ग्रामपंचायत के अंदर संचालित होने वाले गतिविधियों के लिये सबसे पहले ग्रामसभा से अनुमति लेनी चाहिये, परन्तु कंपनी द्वारा किसी प्रकार से ग्रामसभा से अनुमति नहीं लिया गया है तब पर्यन्त किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई जो स्थानिय लोगों के भारत के संविधान का आर्टिकल 21 की धारा का सीधा उल्लंघन है। छठवा हमारा पाईंट है कोल वॉशरी कंपनी द्वारा भू-जल

दोहन पूर्व से किया जा रहा है जिसके कारण आस-पास के क्षेत्र में जल स्तर की इतनी बड़ी गिरावट हुई है जिसकी वजह से आस-पास के क्षेत्र, गांव में जल संकट पैदा हो रहे हैं। अगर कंपनी के विस्तार की अनुमति प्रदान की जाती उन परिस्थितियों में कंपनी द्वारा ज्यादा भू-जल दोहन किया जायेगा जिससे यह क्षेत्र उजड़ने की स्थिति में आ जायेगी जिसका प्रभाव वहाँ के रहने वाले के उपर पड़ेगा। इसलिये वर्तमान कंपनी की 20.04.2022 की जो जनसुनवाई की अनुमति दिया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सातवा हमारा पाईट है कंपनी द्वारा परियोजना के प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है जिसमें आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, प्राईमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एवं क्षेत्र में सभी पढ़ने वाले बच्चे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है यह ई.आई.ए. नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से फर्जी है। नोटिफिकेशन का राज्य सरकार के एवज में जिला प्रशासन पहले जांच करवाये इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाये। आंठवा हमारा पाईट है कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामियों को पूर्व में सी.एस.आर. के तहत जो कार्य करने के लिये कहा गया था आज पर्यन्त कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामियों के अपने सी.एस.आर. मद के किसी भी प्रकार का काम नहीं कराया गया है। जिस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अगर किसी भी प्रकार की दूर्घटना होती है जिसकी जिम्मेदार कंपनी एवं जिला प्रशासन होगी। आयोजित होने वाली जनसुनवाई का हम सब विरोध करते हैं। नौंवा हमारा पाईट है जहाँ यह कंपनी स्थापित है वहाँ के आस-पास के क्षेत्र, जंगल जहाँ लोगों की जीविका का मूल कृषि एवं पशुपालन है जो कंपनी के स्थापित होने से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है एवं कंपनी को विस्तार की अनुमति दी जाती है जिससे आस-पास के पर्यावरण क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित होगा जिसका प्रभाव आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा इसलिये हम इस जनसुनवाई का विरोध करते हैं। दसवां हमारा पाईट है इस कंपनी के आस-पास और कई कंपनी, कोल वॉशरी स्थापित है जिसकी सूचना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में कंपनी द्वारा लोगों को ना तो दी गई है और ना ही बताया गया है इससे दूषप्रभाव की जानकारी लोगों का ना दी गई है जिसके कारण यहा रहने वाले मूल निवासियों को भुगतना पड़ेगा इससे बेहतर यही होगा की जमीनी स्तर पर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन का गांव स्तर पर तैयार कर कार्यवाही किय जाये जिसके बाद जनसुनवाई की अनुमति हेतु पुनः विचार किया जाना चाहिये। मेरा आपसे सवाल है कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो स्थानिय भाषा में क्यों नहीं है जो स्थानिय लोगों को समझ में आ सके। आपने अंग्रेजी में बोर्ड लगा रखा है वो क्यों लगा रखा है? कंपनी का मैं सकत विरोध करता हूँ।

698. कुमार सिंह, चारमाल – समर्थन करता हूँ।

699. सुमति – विरोध करती हूँ।

700. गुरबारी, लाखा – विरोध है।

701. सुखमति – विरोध है।
702. श्रीराम गुप्ता, टेंडा नवापारा – यह कोल वाशरी में 02 कि.ली. घरेलू उपयोग के लिये गया है जो गलत है। कोल वॉशरी के चारों ओर हाथी प्रभावित क्षेत्र है। आस-पास के कंपनियों को एन.जी.टी. के द्वारा जुर्माना लिया गया है। इस कंपनी के विस्तार होने से काफी मात्रा प्रदूषण होगा। उद्योगों के आने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तेंदूपत्ता संग्रहण करने से पत्ते में गुणवत्ता खत्म हो गई है पानी पीने के लिये सराईपत्ता का उपयोग किया जाता है सराईपत्ता खराब हो गया है काफी ज्यादा डर्स्ट जमा होता है आज डिस्पोजल में पानी पिया जा रहा है। विरोध करता हूँ।
703. राजेश गुप्ता, सराईपाली – यहा के महुआ पेड़ बहुत होते थे लेकिन अब वो खत्म हो गया है अभी जो कंपनी है और आगे जो आने वाली है उससे बहुत नुकशान होगा, जिला प्रशासन को हम लोगों के लिये संरक्षण के लिये रखा जाता है। यहा के किसानों की लगभग 60–70 एकड़ जमीन बर्बाद हुई है जिसका कोई मुआवजा नहीं मिला है, ये गलत है। इस कंपनी का मैं विरोध करता हूँ।
704. राहुल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
705. अमन – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
706. जितेन्द्र – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
707. पंकज – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
708. लकेश्वर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
709. पुनिराम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
710. देवकुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
711. रतन सिंह – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
712. पावित्री, भैंगारी – पुरा जल जंगल हमारा अधिकार है पुरा खत्म हो गया है हमारे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं कोल वाशरी के दलाल झुठे फाईल बनाये हैं। ग्रामसभा नहीं हुआ है। मैं 05 साल सरपंच का काम किया हूँ झेरे कागज बनाकर जनसुनवाई करवा रहे हैं ये लोग चोर हैं, झुट्ठे हैं। टी.आर.एन. फर्जी तरीके से खुला है सभी लोग बाहर से आकर जनसुनवाई करवा रहे हैं कोल वॉशरी को जुता का माला पहनाना चाहिये।
713. ईतवारिन, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
714. डिलेश्वर, चारमार – आप यहा बैठे हैं आप नवापारा आकर देखिये बहुत डर्स्ट है इसलिये मैं विरोध करता हूँ।
715. तुलेश्वर – विरोध।
716. प्रशांत भोय, चारमार – विरोध।
717. लक्ष्मण – विरोध।
718. शांति, चारमार –
719. अवंति, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
720. तारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
721. ईतवारिन, चारमार –

722. राजकुमारी, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
723. रामबाई, चारमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
724. बिमला, चारमार – विरोध।
725. रामकुमारी, चारमार – विरोध।
726. उत्तराकुमारी, चारमार – विरोध।
727. रत्थोराम, कटंगडीह – मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। कटंगडीह सबसे प्रभावित हो रहा है। यहा अंग्रेजी भाषा में पोस्ट लगा है क्या हम इंग्लैण्ड से आये है। ये किसानों के साथ धोखा है, जिस राज्य का किसान दुखी है वहा सभी दुखी है। हमारे यहा 03 दिनों में 03 महिलाओं का मौत हो गया है रोड मे। नुकशान होने पर क्या होगा इसका रुल होना चाहिये। खेती के बिना कोई जीवित नहीं रहने वाला है।
728. सुशील गुप्ता, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
729. भावेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
730. तिहारी, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
731. अमर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
732. उमाकांत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
733. दशरथ, भेंगारी – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
734. कन्हैया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
735. प्रकाश, टेरम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
736. निखिल, टेरम – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
737. राजेन्द्र – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
738. अमित कुमार, घरघोड़ा – मैं जो समर्थन नहीं करते हैं वो कह रहा हूँ यहा रोजगार नहीं मिल रहा है, यह कोल वॉशरी नहीं बनना चाहिये इसके लिये हम अनिश्चित कालिन हड्डताल भी कर सकते हैं। यहा लोगो को अभी समझ में आ रहा है कि इससे क्या दुष्प्रभाव है। मैं एम.ए. हिन्दी पढ़कर खेती कर रहा हूँ महुआ बिन रहा हूँ रामेश्वर प्लांट में मैं 03 एकड़ जमीन दिया हूँ। मैं 1981 में पैदा हुआ हूँ तो 1950 का रिकार्ड कहा से लाउं। मेरे को भी 300 दिये थे और बोले 10 लोगो को और लेकर आवो। मैं हमेशा कोल वाशरी को समर्थन नहीं करूँगा। मेरे को बोल रहे हैं चल ये लोग पैसे लेकर आये हैं। मैं बाबा साहब का चेला हूँ मैं संविधान की बात करूँगा।
739. संपत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
740. साधना, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
741. हरिप्रिया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
742. महेश्वरी, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
743. रंभा, – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
744. मीरा बाई – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
745. सुरुचि, – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

746. सतिश, घरघोड़ा – ये कंपनी आने से रोजगार बढ़ेगा। इस कंपनी में कोयले को ढुलाई करके भेजा जायेगा। ये कंपनी खारथ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है। कंपनी चालू होते ही रोजगार मिला, कोयले को बाहन नहीं निकालने से आग भी लग सकती है, इसलिये कोयलें को निकालना चाहिये। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
747. छोटु साहू, कुदुमकेला – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
748. लेखराम, कुदुमकेला – रोड में जो प्रदूषण है उसको कम करे, और रोजगार दे मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
749. मुकेशराम गुप्ता, नवापारा टेण्डा – मैं विशेष करके अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि जो भी सी.एस.आर. मद का पैसा शहर में खर्च करते हैं और हम लोग धुल खाते हैं इसको इस क्षेत्र में खर्च करना चाहिये। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
750. प्रकाश सिंह, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
751. राजकुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
752. मुरली – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
753. कमला, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
754. सरोजनी, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
755. बिंदया – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
756. धनेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
757. नंदलाल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
758. संजू, घरघोड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
759. भोलू – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
760. सरोज गुप्ता, नवापारा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
761. दिलेश्वर, घरघोड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
762. पिंटु – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
763. बजरंग – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
764. राकेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
765. समीर, घरघोड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
766. सुखलाल – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
767. दुर्गेश – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
768. जागेश्वर – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
769. सुनील कुमार, घरघोड़ा – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
770. जगदीश –
771. रमाकांत – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
772. दीपक – मेरा कोल वाशरी के पिछे जमीन है मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
773. राजेश कुमार – मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

(११)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस-पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हों तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि छूट गये हों तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये हैं जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 04:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दों तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी हैदराबाद, कंसलटेंट, इस परियोजना में बैग फिल्टर का उपयोग किया जायेगा, पानी का छिड़काव किया जायेगा, हरियाली होगी, इसमें जल प्रदूषण के लिये सेटलिंग टैंक के माध्यम से फिल्टर किया जायेगा जिससे शुन्य निस्तारण होगा। एलिफेंट कारिडोर के बारे में बताया गया है। स्थानिय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 186 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 143 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 04.45 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

  
21/05/2022  
(र.स.क. वमा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

  
21/05/2022  
(आर.ए. कुरुवंशी)  
अपर कलेक्टर  
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

